न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 13/22 वर्ष 2022

जीसीएमएस संख्या 2022/84

बउनवानीः—राजेश शर्मा पुत्र श्री देवी नारायण शर्मा निवासी खण्डार, उ.मू. दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.2020 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री मुकेश तेहरिया वकील अपीलान्ट

श्री मुनेष मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार रसद

—:निर्णय :— दिनांकः— 12.10.2022

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 5.8.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 7/2011 है तथा प्रार्थी वर्ष 2011 से बिना उपभोक्ताओं की शिकायते के ईमानदारी से राशन सामग्री का वितरण करता रहा है। यह तर्क भी दिया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016, 5.8.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये तत्पश्चात जिसके अनुसार उपभौक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभौक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. नम्बर आने पर ही उपभौक्ता को राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इसलिए कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नही रहती है ओर ना ही राशन कार्ड मे वितरित की गयी राशन सामग्री की एन्ट्री करने की आवश्यकता रहती है। अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का गबन नही किया है बल्कि उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण पूर्व में जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.3.2015 द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान की आपूर्ति एवं वितरण कार्य पर रोक लगा दी गयी जो न्यायालय के आदेश दिनांक 6.4.2015 से चालू की गयी है। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.6.2016 द्वारा पुनः प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया जिसको प्रार्थी द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7.9.2016 द्वारा अन्तरित स्थगन आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी खण्डार के आदेश दिनांक 29.6.2016 की कियान्वति को स्थिगित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 9.2.2016 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 9.4.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहसीलदार खण्डार द्वारा दुकान की जॉच की जाकर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रेषित की जाने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 15.4.2020 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र को निलंबित किया जाकर दिनांक 15.4.2020 को ही प्रार्थी के विरूद्व थाना खण्डार मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी को बारबार हैरान व पेरशान किया जाकर बार–बार प्रार्थी के विरूद्व झूठें प्रकरण दर्ज किये गये जिसके लिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.4.2020 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को पत्र प्रस्तुत कर जॉच किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र आदेश कमांक 304–312 दिनांक 15.4.2020 द्वारा निलंबित किया गया उक्त आदेश पर हस्ताक्षर दिनांक 5.5.2020 अंकित है। जबकि बाडमेर जिलें के 24 राशन कार्डो पर फर्जी ट्रान्जैक्शन के संबंध मे कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.4.2020 को जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वाराा जिला कलेक्टर को भिजवायी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में श्रीमति पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गयी जॉच में मुझ अपीलान्ट पर कोई गबन नही बताया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 2.7.2020 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 23.7.2020 को सुनवायी हेतु तलब किया गया किन्तु उस दिन प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण उपस्थित नही हो सका तथा दिनांक 5.8.2020 को जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। इस प्रकार उक्त आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा यह अंकित नही किया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी कब व किस माध्यम से प्राप्त हुई है। यह तर्क भी दिया कि जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अपनी पीओएस मशीन संख्या 11285 से 24 राशनकार्डो की फर्जी तरीके से राशन सामग्री का वितरण कर दिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 269 दिनांक 6.4.2020 से तहसीलदार खण्डार से करवायी जाने पर जिला बाडमेर के 24 राशनकार्डो पर फर्जी ट्रान्जेक्शन कर गेंहूँ निकाला गया है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार को जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक/अभियोग/304–312 दिनांक 15.4.2020 उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर उक्त उचित मूल्य दुकान की अस्थायी वितरण व्यवस्था हेतु इसी ग्राम पंचायत के अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमदुर्गासिंह राठौड को अधिकृत किया गया तथा पीओएस मशीन एवं अवशेष स्टॉक का हस्तानान्तरण कराने हेतु तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन एवं राशन सामग्री का स्टॉक अटैचमेंट उचित मूल्य दुकानदार को नही सम्भलाया जाने एवं बाडमेर जिलें के 24 राशनकार्डो पर फर्जी ट्रान्जेक्शन कर 585 किलोग्राम गेंहूँ के गबन करने के कारण उसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0074 दिनांक 15.4.2020 दर्ज करवायी जाकर पत्र कमांक 371 दिनांक 20.4.2020 [illegible] नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी हेतु दिनांक 8.5.2020 नियत की गयी किन्तु [illegible] मूल्य दुकान उक्त नियत दिनांक को सुनवायी हेतु उपस्थित नही होने पर पुनः पत्रांक 452 दि[illegible] 8.6.2020, 533 दिनांक 2.7.2020 द्वारा उपस्थित होने हेतु लिखा गया किन्तु [illegible] मना कर दिया तथा अपीलान्ट ना तो कार्यालय मे उपिस्थत हुआ [illegible] प्रस्तुत किया । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्राधिकार नत्र की शर्त संख्या 11,15,17(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 मे प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार का प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/–रू समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुताबिक पैरोकार रसद श्री राजेश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार की पीओएस मशीन संख्या 11285 से बाडमेंर जिलें के 24 राशनकार्डो की राशन सामग्री का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाकर 585 किलोग्राम गेंहूँ का गबन किये जाने का आरोप है। उक्त 24 राशनकार्डो की राशन सामग्री का फर्जी ट्रान्जेक्शन बाबत लगाये गये आरोप निराधार होने के संबंध में अपीलान्ट डीलर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त संबंध मे न्यायालय हाजा के समक्ष कथन किया है कि उसकी पीओएस मशीन संख्या 11285 हेक की जाकर उक्त 24 राशनकार्डो की राशन सामग्री का ट्रान्जेक्शन फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन मे उक्त पीओएस मशीन हेक होने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। इसके अतिरिक्त उक्त कृत्य के लिए अपीलान्ट के विरूद्व थाना खण्डार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0074 दिनांक 15.4.2020 दर्ज होकर न्यायालय मे जैरकार है जिसमे अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपो के संबंध मे गहनता से जॉच होकर अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप निराधार है अथवा सही है के संबंध में पुष्टि की जानी है। ऐसी स्थिति मे सिविल न्यायालय मे प्रकरण जैरकार रहते हुए अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने बाबत इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested